सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 570

26 आश्विन, 1928 शकाब्द

राँची, बुधवार 18 अक्टूबर, 2006

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2006

संख्या-एल०जी०-13/2006-122/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

झारखण्ड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम, 2006

[झारखण्ड अधिनियम 18, 2006]

भारत गणराज्य के 57वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार एवं प्रारम्भ :-

   क. यह अधिनियम झारखण्ड विधान-मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।

   ख. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

   ग. यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. इस अधिनियम में जबतक कि विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो ।

क. मंडल/सभा से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान मंडल ।

ख. 'मुख्य सचेतक', 'उप मुख्य सचेतक', 'सचेतक' से अभिप्रेत है, विधान-सभा का कोई ऐसा सदस्य जो सरकार गठित करने वाले सत्तारूढ़ दल द्वारा मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक के रूप में नियुक्त हुआ हो/तथा मान्यता प्राप्त मुख्य विरोधी दल के मुख्य सचेतक एवं सचेतक के रूप में नियुक्त हुआ हो ।

ग. 'अधिनियम' से अभिप्रेत है - झारखण्ड विधान-मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम, 2006 ।

घ. निजी स्टाफ से अभिप्रेत है - सरकार द्वारा समय-समय पर मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक की स्थापना में स्वीकृत निजी स्टाफ ।

3. विधान-मंडल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को वेतनमद में 5,000/- (पाँच हजार) रुपये प्रति माह तथा 8,000/-(आठ हजार) रुपये प्रति माह की दर से क्षेत्रीय भत्ता एवं प्रत्येक को 8,000/-(आठ हजार) रुपये प्रति माह की दर से आतिथ्य भत्ता देय होगा ।

4. मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल को दो सरकारी गाड़ी ड्राईवर सहित एवं मुख्य सचेतक विरोधी दल तथा उप मुख्य सचेतक तथा सभी सचेतकों को एक-एक सरकारी गाड़ी ड्राईवर सहित की सुविधा अनुमान्य होगी ।

5. मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को किराया मुक्त निवास स्थान दिया जायेगा ।

6. मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक में से प्रत्येक को उनके आवास पर एक-एक टेलिफोन दिया जायेगा । यदि मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सचेतक के लिये यथा-स्थिति सभा परिसर में कार्यालय आबंटित किया जाय तो एक अतिरिक्त टेलिफोन का उपबंध भी किया जायेगा । यदि सदस्य के रुप में यथा-स्थिति सभा द्वारा उनके निवास स्थान पर टेलिफोन लगाया गया हो, तो वहां पृथक टेलिफोन नहीं लगाया जायेगा । मुख्य सचेतक को वर्ष में अधिकतम 65,000/-(पैंसठ हजार) रुपये, उप मुख्य सचेतक को 60,000/-(साठ हजार) रुपये एवं सचेतक को 55,000/- (पचपन हजार) रुपये का स्थानीय कॉल की मुफ्त सुविधा अनुमान्य होगी ।

7. मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को क्रमशः मंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री को फर्निशिंग मद में देय सुविधा अनुमान्य होगी ।

8. मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक एवं सचेतक को निम्नवत् निजी स्टाफ की सुविधा अनुमान्य होगी -

पदनाम	आप्त सचिव	निजी सहायक	दिनचर्या लिपिक	आदेशपाल/चालक अर्दली
1. मुख्य सचेतक, झारखण्ड विधान-सभा	1(एक) (वाह्य स्रोत से को-टर्मिनस आधार पर)	2(दो) (दोनों निजी सहायक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निजी सहायक पूल से उपलब्ध करायी जायेगी)	1(एक) (वाह्य स्रोत से को-टर्मिनस आधार पर)	4(चार) (वाह्य स्रोत से को-टर्मिनस आधार पर)
2. उप मुख्य सचेतक, झारखण्ड विधान-सभा	1(एक) (वाह्य स्रोत से को-टर्मिनस आधार पर)	1(एक) (एक निजी सहायक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निजी सहायक पूल से उपलब्ध करायी जायेगी)	1(एक) (वाह्य स्रोत से को-टर्मिनस आधार पर)	2(दो) (वाह्य स्रोत से को-टर्मिनस आधार पर)
3. झारखण्ड विधान मंडल सचेतक,		1(एक) (एक निजी सहायक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निजी सहायक पूल से उपलब्ध करायी जायेगी)		2(दो) (वाह्य स्रोत से को-टर्मिनस आधार पर)

मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक द्वारा स्वविवेक से की गई वाह्य व्यक्तियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा माननीय मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक की कार्य अवधि की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जायेगी या उनकी इच्छा पर किसी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

9. राज्य सरकार, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक के निवास स्थान के कार्यालय भाग से संबंधित बिजली प्रभार (चार्जेज) और बिजली फिटिंग मद व्यय का भुगतान अधिकतम् 250 रु० प्रति माह की दर से उनके आप्त सचिव या निजी सहायक द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित बिल प्राप्त होने पर किया जायेगा ।

10. मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक झारखण्ड विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001 और इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सदस्य के रूप में यथा अनुज्ञेय मोटर गाड़ी क्रय हेतु ऋण की सुविधा, पोस्टल, स्टेशनरी एवं कार्यालय व्यय की सुविधा, दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता की सुविधा, कम्प्यूटर की सुविधा तथा चिकित्सा भत्ता अनुमान्य होगा । साथ ही साथ मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को प्रतिवर्ष हवाई एवं जलपोत यात्रा मद में क्रमशः 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपये, 1,25,000/-(एक लाख पच्चीस हजार) रुपये एवं 1,00,000/-(एक लाख) रुपये अनुमान्य होगा । हवाई/जलपोत यात्रा करने के समय मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को एक सहयात्री सुविधा अनुमान्य होगी । हवाई यात्रा के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक प्राप्त विपत्रों का भुगतान झारखण्ड विधान-सभा द्वारा किया जायेगा एवं HOR मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा पूर्ववत् उपलब्ध कराया जाता रहेगा । सचेतकगण को विधान-सभा के सदस्यों को देय रेल कूपन की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी ।

11. मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक के साथ जाने वाला निजी स्टॉफ, यात्रा भत्ता नियमावली के अधीन तथा अनुज्ञेय यात्रा भत्ता का हकदार होगा । राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी और तभी उनका यात्रा भत्ता ग्रहण किया जा सकेगा ।

12. आप्त सचिव का यात्रा भत्ता मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा । अराजपत्रित स्टॉफ का यात्रा भत्ता विपत्र यथा-स्थिति आप्त सचिव या मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा ।

13. विधान मंडल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को इस अधिनियम के अंतर्गत देय सुविधा प्राप्त होने पर उन्ही मदो में सदस्य को अलग से प्राप्त होने वाली सुविधा देय नहीं होगी ।

14. नियम बनाने की शक्ति -

(i) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधो को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी ।

(ii) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाये जाने के बाद यथाशक्त शीघ्र सत्र के दौरान राज्य विधान-सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी कुल अवधि 14 दिन की हो, जो एक सत्र में अथवा दो लगातार सत्रों में समाविष्ट हो, और यदि सत्र की समाप्ति के पूर्व जिसमें इसे प्रस्तुत किया गया हो, या इसके ठीक बाद वाले सत्र में, सदन नियम में उपान्तरण करने के लिए सहमत हो, अथवा सदन सहमत हो कि नियम नही बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् इस नियम का प्रभाव यथा स्थिति केवल ऐसे उपान्तरित रूप में होगा, या इसका प्रभाव ही नहीं होगा फिर भी ऐसे उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधि-मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

15. निरसन और व्यावृत्ति -

(i) झारखण्ड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) नियमावली, 2001 अधिसूचना सं०-541A, दिनांक 13 अप्रैल, 2002, अधिसूचना सं०-76, दिनांक 23 जून, 2001, अधिसूचना सं०-140, दिनांक 24 जनवरी, 2003 एवं अधिसूचना सं०-909, दिनांक 20 मई, 2003 द्वारा यथा संशोधित एवं समय-समय पर यथासंशोधित इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली एवं उस नियमावली में समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से संशोधन द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी मानो, यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था, या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 570--300+400--शनि मुण्डा ।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 253 — 13 चैत्र, 1930 शकाब्द
राँची, बुधवार 2 अप्रैल, 2008

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

1 अप्रैल, 2008

संख्या-एल०जी०-13/2006-41/लेज०,--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 31 मार्च, 2008 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड विधान-मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2008

[झारखण्ड अधिनियम 09, 2008]

झारखण्ड विधान-मंडल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक एवं सचेतक के वेतन एवं भत्ते का अवधारण करने के लिए संशोधन अधिनियम ।

भारत गणराज्य के 59वाँ वर्ष में झारखण्ड विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ –

(i) यह झारखण्ड विधान-मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड विधान-मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम, 2006 (झारखण्ड अधिनियम-18, 2006) की धारा-3 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है –

"वेतन मद में अंक एवं शब्दों में 5,000/- (पाँच हजार) रुपये के स्थान पर 10,000/- (दस हजार) रुपये प्रति माह देय होगा ।"

"सत्कार भत्ता मद में अंक एवं शब्दों में 8,000/- (आठ हजार) रुपये के स्थान पर 12,000/- (बारह हजार) रुपये प्रतिमाह देय होगा ।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 253--300+400--शनि मुण्डा ।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आश्विन, 1933 शकाब्द

संख्या 683

राँची, मंगलवार 11 अक्तूबर, 2011

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2011

संख्या एल०जी०-13/2006-161/लेज०-झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

[झारखण्ड अधिनियम, 13, 2011]

झारखंड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2011

झारखण्ड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम, 2006 (झारखण्ड अधिनियम-18, 2006 यथासंशोधित अधिनियम 09, 2008) में झारखण्ड विधान मंडल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक एवं सचेतक के वेतन एवं भत्ते का संशोधन अधिनियम -

अधि- 13 - 2011

भारत गणराज्य के 62वां वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-
   - (i) यह झारखण्ड [illegible] मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) (संशोधन) अ[illegible] 2011 कहा जा सकेगा।
   - (ii) इसका विस्तार [illegible] झारखण्ड राज्य में होगा।
   - (iii) यह दिनांक 0[illegible] 2011 से प्रभावी समझा जायेगा।

2. झारखण्ड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम, 2006 (झारखण्ड अधिनियम-18, 2006 यथासंशोधित अधिनियम 09, 2008) की धारा-2 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-

   मुख्य सचेतक- "[illegible] में 10,000/-(दस हजार) रुपये के [illegible] 25,[illegible] रुपये प्रति माह देय होगा।"

   उप मुख्य सचेतक/सचेतक- "[illegible] में अंक एवं शब्द में 10,000/-(दस हजार) रुपये के स्थान पर 25,000/-(पच्चीस हजार) रुपये प्रति माह देय होगा।"

3. झारखंड विधान-मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम 18, 2006 की धारा 3 द्वारा प्रावधानित मुख्य सचेतक/ उप मुख्य सचेतक/ सचेतक को क्षेत्रीय भत्ता मद में अंक एवं शब्द में 8,000/-(आठ हजार) रुपये के स्थान पर 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये प्रतिमाह देय होगा।"

4. झारखंड विधान-मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम 18, 2006 की धारा 3 यथासंशोधित अधिनियम 9, 2008 की धारा-2 के द्वारा प्रावधानित मुख्य सचेतक/ उप मुख्य सचेतक/ सचेतक को सत्कार भत्ता मद में अंक एवं शब्द में 12,000/-(बारह हजार) रुपये के स्थान पर 25,000/-(पच्चीस हजार) रुपये प्रतिमाह देय होगा।"

5. झारखंड विधान–मंडल, सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम 18, 2006 की धारा 6 द्वारा मुख्य सचेतक / उप मुख्य सचेतक / सचेतक को दूरभाष मद के रूप प्रावधानित राशि क्रमशः 65,000/–, 60,000/– एवं 55,000/– के स्थान पर 1,00,000/–रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

6. झारखंड विधान–मंडल, सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम 18, 2006 की धारा 10 के द्वारा प्रावधानित राशि 1,50,000/– 1,25,000/– तथा 1,00,000/– के स्थान मुख्य सचेतक / उप मुख्य सचेतक / सचेतक को यात्रा मद के रूप में क्रमशः 2,00,000 1,50,000 एवं 1,25,000 रूपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

7. झारखंड विधान–मंडल, सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम 18, 2006 की धारा 14 (i) के पश्चात् नया उपबंध 1 (a) निम्नवत् जोड़ा जायेगा:–

(i) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली समस्त या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेगी:

वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पंकज श्रीवास्तव,

सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 683--150+600 ।

13-2011

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(संसदीय कार्य)

अधिसूचना

संख्या– मं०म०स०–05/विधायी का० (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(संसद सचिका) 937 दिनांक 19.5.2015

झारखण्ड विधान–मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम, 2006 (झारखण्ड अधिनियम, 18, 2006), झारखण्ड विधान–मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम, 09, 2008) सहपठित झारखण्ड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 13, 2011) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्न नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम और विस्तार एवं प्रारंभ :–**
   क. यह नियमावली "झारखण्ड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) नियमावली, 2015" कहलायेगी।
   ख. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   ग. यह नियमावली 01 जनवरी, 2015 से प्रभावी समझी जायेगी।
2. इस नियमावली में जबतक कि विषय या संदर्भ के विरूद्ध कोई बात न हो,
   क. मंडल/सभा से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान मंडल।
   ख. मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक से अभिप्रेत है, झारखण्ड विधान सभा का कोई ऐसा सदस्य जो सरकार गठित करने वाले सत्तारूढ़ दल द्वारा मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक के रूप में नियुक्त हुआ हो, तथा मान्यता प्राप्त मुख्य विरोधी दल के मुख्य सचेतक एवं सचेतक के रूप में नियुक्त हुआ हो।
   ग. **अधिनियम से अभिप्रेत है**– झारखण्ड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम, 2006।
   घ. **निजी स्टाफ से अभिप्रेत है** – सरकार द्वारा समय–समय पर मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक की स्थापना में स्वीकृत निजी स्टाफ।
3. विधानमंडल में सत्तारूढ़ दल के एक मुख्य सचेतक, एक उप मुख्य सचेतक तथा चार सचेतक तथा विरोधी दल में एक मुख्य सचेतक तथा दो सचेतक अनुमान्य होंगे।
4. विधान मंडल के मुख्य सचेतक को वेतन मद में रु0 35,500/– (पैंतीस हजार पाँच सौ) मात्र तथा उप मुख्य सचेतक, सचेतक को वेतन मद में रु0 35,000/–(पैंतीस हजार) मात्र प्रतिमाह तथा मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को आतिथ्य भत्ता मद में रु0 30,000 (तीस हजार) मात्र प्रतिमाह की दर से देय होगा।
5. विधान मंडल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को क्षेत्रीय भत्ता मद में रु0 30,000/– (तीस हजार) मात्र देय होगा।
6. मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल को दो सरकारी गाड़ी चालक सहित एवं मुख्य सचेतक, विरोधी दल तथा उप मुख्य सचेतक तथा सभी सचेतकों को एक–एक सरकारी गाड़ी चालक सहित की सुविधा अनुमान्य होगी।

7. मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को किरायामुक्त आवास दिया जायेगा।
8. **दूरभाष का प्रावधान**– मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को वर्ष में अधिकतम रु0 1,00,000/–(एक लाख) मात्र अनुमान्य होगा, जिसमें मोबाईल हेतु रु0 60,000/– (5,000/– रू0 प्रतिमाह की दर पर) वेतन में देय होगा तथा शेष रु0 40,000/– (चालीस हजार) मात्र लैंडलाईन और इंटरनेट विपत्र के विरूद्ध देय होगा।
9. मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को क्रमशः मंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री को फर्निशिंग मद में देय सुविधा अनुमान्य होगी।
10. मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को निम्नवत् निजी स्टाफ की सुविधा अनुमान्य होगी–

क्र	पदनाम	आप्त सचिव	निजी सहायक	दिनचर्या लिपिक	आदेशपाल/ चालक/ऑर्डरली
1	मुख्य सचेतक, झारखण्ड विधानसभा	01 (एक) (वाह्य स्त्रोत से को–टर्मिनस आधार पर)	2 (दो) (दोनों निजी सहायक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निजी सहायक पूल से उपलब्ध करायी जायेगी)	01 (एक) (वाह्य स्त्रोत से को–टर्मिनस आधार पर)	03 (तीन) आदेशपाल तथा 01 (एक) चालक (वाह्य स्त्रोत से को–टर्मिनस आधार पर)
2	उप मुख्य सचेतक, झारखण्ड विधानसभा	01 (एक) (वाह्य स्त्रोत से को–टर्मिनस आधार पर)	01 (एक) (निजी सहायक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निजी सहायक पूल से उपलब्ध करायी जायेगी)	01 (एक) (वाह्य स्त्रोत से को–टर्मिनस आधार पर)	01 (एक) आदेशपाल तथा 01 (एक) चालक (वाह्य स्त्रोत से को–टर्मिनस आधार पर)
3	सचेतक, झारखण्ड विधानसभा	–	01 (एक) (निजी सहायक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निजी सहायक पूल से उपलब्ध करायी जायेगी)	–	01 (एक) आदेशपाल तथा 01 (एक) चालक (वाह्य स्त्रोत से को–टर्मिनस आधार पर)

मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक, द्वारा स्वविवेक से की गई वाह्य व्यक्तियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा माननीय मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक की कार्य अवधि की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जायेगी या उनकी इच्छा पर किसी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

11. राज्य सरकार, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक के निवास स्थान के कार्यालय भाग से संबंधित बिजली प्रभार (चार्जेज) और बिजली फिटिंग मद व्यय का भुगतान अधिकतम रु0 250/– (दो सौ पचास) मात्र प्रति माह की दर से उनके आप्त सचिव या निजी सहायक द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित बिल प्राप्त होने पर किया जायेगा।

12. मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक, झारखण्ड विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001 और इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सदस्य के रूप में यथा अनुज्ञेय मोटर गाड़ी क्रय हेतु ऋण

की सुविधा, पोस्टल, स्टेशनरी एवं कार्यालय व्यय की सुविधा, प्रभारी भत्ता की सुविधा, कम्प्यूटर की सुविधा तथा चिकित्सा भत्ता अनुमान्य होगा। साथ ही मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक, को प्रति वर्ष हवाई एवं जलपोत यात्रा मद में क्रमशः रु0 2,00,000/–(दो लाख) मात्र, रू0 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार) मात्र एवं रु0 1,25,000/–(एक लाख पच्चीस हजार) मात्र अनुमान्य होगा। हवाई/जलपोत यात्रा करने के समय मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को एक सहयात्री सुविधा अनुमान्य होगी। हवाई यात्रा से संबंधित विपत्रों का भुगतान झारखण्ड विधानसभा द्वारा किया जायेगा एवं HOR मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा पूर्ववत् उपलब्ध कराया जाता रहेगा। सचेतकगण को विधान–सभा के सदस्यों को देय रेल कूपन की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

13. मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक के साथ जाने वाला निजी स्टाफ, यात्रा भत्ता नियमावली के अधीन तथा अनुज्ञेय यात्रा भत्ता का हकदार होगा। राज्य के बाहर यात्रा करने के लिये सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी और तभी उनका यात्रा भत्ता ग्रहण किया जा सकेगा।

14. आप्त सचिव का यात्रा भत्ता मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। अराजपत्रित स्टाफ का यात्रा भत्ता विपत्र यथास्थिति आप्त सचिव या मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।

15. विधानमंडल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को इस अधिनियम के अन्तर्गत देय सुविधा प्राप्त होने पर उन्हीं मदों में सदस्य को अलग से प्राप्त होने वाली सुविधा देय नहीं होगी।

16. **चिकित्सा भत्ता** :– विधान मंडल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को चिकित्सा भत्ता मद में रु0 5,000/– (पांच हजार) देय होगा।

17. **गृह ऋण** :– विधान मंडल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को गृह ऋण मद में रु0 30,00,000/– (तीस लाख) मात्र, 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देय होगा।

18. **मोटर कार ऋण** :– विधान मंडल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को मोटर कार ऋण में रु0 15,00,000/– (पन्द्रह लाख) मात्र, 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देय होगा।

19. यह नियमावली एवं इसके अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के सदन के समक्ष, जब वह 14 दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जिसमें एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्र समाविष्ट

हो, रखा जायगा और यदि जिस सत्र में यह रखा गया हो, उसकी समाप्ति के पूर्व अथवा उसकी ठीक बाद वाले सत्र में, सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाए, तो उसके बाद यथास्थिति, नियम का ऐसे उपान्तरित रुप में ही प्रभाव होगा अथवा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर भी ऐसा कोई उपान्तरण या बातलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई कोई बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

20. **व्याख्या एवं संशोधन–** इस नियमावली के प्रावधानों की यथावश्यक व्याख्या (Interpretation) एवं संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/- 18/5/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– मं0म0स0–05/विधायी कक्ष (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(छाया संचिका) 937/रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपि:– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक, झारखण्ड विधान सभा, रांची/मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव/ विकास आयुक्त के सचिव/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सरकार के सभी प्रधान सचिव/प्रधान स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/सरकार के सभी सचिव/सभी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- 18/5/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं0म0स0–05/विधायी कक्ष (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(छाया संचिका) 937/रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपि: महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, एच.ई.सी. प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/डोरंडा/रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 18/5/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं0म0स0–05/विधायी कक्ष (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(छाया संचिका) 937/रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखंड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि राजपत्र की 5000 (पांच हजार) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/- 18/5/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

(14)

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

अधिसूचना

म0म0स0– म0म0स0–05/वे0म0 संशोधन–128/2017 1239 / झारखण्ड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) नियमावली, 2015 के नियम– 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली में झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

::संशोधन::

i) नियमावली के नियम–4 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"विधान मण्डल के मुख्य सचेतक को वेतन मद में रु0 55,000/– (पचपन हजार) मात्र, उप मुख्य सचेतक को रु0 50,000/– (पचास हजार) मात्र एवं सचेतक को रु0 40,000/– (चालीस हजार) मात्र प्रतिमाह तथा मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/ सचेतक को आतिथ्य भत्ता मद में रु0 45,000/– (पैतालीस हजार) मात्र" प्रतिमाह की दर से देय होगा।"

ii) नियमावली के नियम–5 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"विधान–मंडल के मुख्य सचेतक/ उप मुख्य सचेतक/ सचेतक को प्रतिमाह क्षेत्रीय भत्ता मद में रु0 50,000/– (पचास हजार) मात्र देय होगा।"

iii) नियमावली के नियम–11 को विलोपित किया जाता है।

iv) नियमावली के नियम–12 को नये नियम–12 (i), 12 (ii) से निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है–

12 (i) मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक, झारखण्ड विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001 और इसके अधीन बनायी गई नियमावली के अन्तर्गत सदस्य के रूप में निम्न सुविधाओं के हकदार होंगे–

a) उप मुख्य सचेतक, सचेतक को पोस्टल, स्टेशनरी एवं कार्यालय व्यय की सुविधान्तर्गत रु0 10,000/– (दस हजार) मात्र प्रतिमाह देय होगा।

b) मुख्य सचेतक को प्रभारी भत्ता के अन्तर्गत राज्य के अन्दर रु0 2,000/– (दो हजार) मात्र एवं राज्य के बाहर रु0 2,500/– (दो हजार पांच सौ) मात्र प्रतिदिन देय होगा।

c) उप मुख्य सचेतक, सचेतक को दैनिक भत्ता के रुप में राज्य के अन्दर रु0 2,000/– (दो हजार) मात्र एवं राज्य के बाहर रु0 2,500/– (दो हजार पांच सौ) मात्र प्रतिदिन देय होगा।

d) मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को निःशुल्क कम्प्यूटर/लैपटॉप (प्रिंटर सहित) की सुविधा देय होगी जिसका मूल्य अधिकतक 70,000/– (सत्तर हजार) मात्र की सीमा के अन्तर्गत होगा। सदस्यता समाप्त होने पर उन्हें कम्प्यूटर/लैपटॉप (प्रिंटर सहित) विधान–मण्डल को वापस कर देना होगा या खरीद कीमत का 10 प्रतिशत राशि वापस किया जायेगा।

12 (ii) मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को प्रतिवर्ष हवाई/जलपोत यात्रा मद में क्रमशः रूपये 3,00,000/– (तीन लाख) मात्र, रु0 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार) एवं रु0 2,00,000/– (दो लाख) मात्र अनुमान्य होगा। साथ ही मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक, भारत में हवाई/जलपोत यात्रा के दौरान अपने साथ 03 (तीन) सहयात्री ले जाने के हकदार होंगे। हवाई/जलपोत यात्रा से संबंधित विपत्रों की प्रतिपूर्ति निर्धारित सीमा के अन्दर विपत्र के विरूद्ध विधान सभा द्वारा देय होगा। HOR की सुविधा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा पूर्ववत उपलब्ध कराया जाता रहेगा। मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को विधान–सभा सदस्यों को देय रेल कूपन की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

v) नियमावली के नियम–16 में अंकित शब्द समूह "मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को चिकित्सा भत्ता मद में" के पश्चात एवं "देय होगा" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 5,000/– (पांच हजार)" को "रु0 10,000/– (दस हजार) मात्र प्रतिमाह" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

vi) नियमावली के नियम–17 में अंकित शब्द समूह " गृह ऋण मद में" के पश्चात एवं अंकित "4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 30,00,000/– (तीस लाख) मात्र" को "रु0 40,00,000/– (चालीस लाख) मात्र" की दर से प्रतिस्थापित किया जाता है।

vii) नियमावली के नियम–18 में अंकित शब्द समूह "मोटर कार ऋण में" के पश्चात एवं "4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 15,00,000/– (पंद्रह लाख) मात्र"** को **"रु0 20,00,000/– (बीस लाख) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

viii) नियमावली के नियम–18 में नया उप नियम 18(i) निम्नरूपेण जोड़ा जाता है :–

"मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक राशि रु0 20,00,000/– (बीस लाख) की तय सीमा में एक से अधिक क्रय कर सकेंगे।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01.09.2017 से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

22/9/2017

(राजकुमार चौधरी)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0म0 संशोधन–128/2017 1239/ रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।

प्रतिलिपि – राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड/सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/ प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/ सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव, झारखण्ड/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0म0 संशोधन–128/2017 1239/ रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।

प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0म0 संशोधन–128/2017 1239/ रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।

प्रतिलिपि– प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त निर्णय से सभी माननीय विधायकगण / पूर्व विधायकगण को अवगत कराने की कृपा की जाय।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वै0म0 संशोधन–128 / 2017 1239 / रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा / डोरंडा / रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वै0म0 संशोधन–128 / 2017 1239 / रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव